TS105/18

09-04-2021

उभय पक्षों की हाजिरी है। अभिलेख आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

आदेश

वादी ने अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 बचब दाखिल कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित अनुसूची 1 में दर्ज एराजी वादीगण के स्वत्व एवं खास हिस्से तथा दखल कब्जे वाली जमीन है जो वादी को बंटवारा वाद संख्या 85/11 के द्वारा सुलहनामा से प्राप्त है परंतु प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा विवादग्रस्त जमीन में लगे आम के पेड़ तथा सागवान एवं कुछ अन्य पेड़ को काटने पर लगे हुये हैं यदि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के दरखतानों को काटने से नहीं रोका गया तो विवादग्रस्त जमीन का भौतिक स्वरूप बदल जाएगा एवं शांति भंग होने की संभावना है इसके अलावा वादी को अपूर्णनीय क्षति भी हो सकती है। जिसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है। वादीगण को प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष को विवादग्रस्त भूमि के भौतिक स्वरूप को बदलने तथा दरखतानों को कटने से रोकने का आदेश पारित किया जाये।

प्रतिवादीगण की ओर से निषेधाज्ञा आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है तथा निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी ने जो इम्तनाई आवेदन दाखिल किया है, को चलने योग्य नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। वादी को किसी प्रकार के सुविधा का संतुलन और प्रथम दृष्टया मामला प्राप्त नहीं है और न ही किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति हो रही है। इस वाद में प्रतिवादीगण अपना बयान तहरीरी दाखिल कर चुके हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वादी को किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्राप्त नहीं है और न ही किसी प्रकार का अपूर्णनीय हो रहा है ऐसी स्थिति में वादी का निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है।

दोनों पक्षों को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा यह वाद विवादग्रस्त जमीन मद न0 2 में वर्णित (वाद पत्र) पर स्वत्व की प्राप्ति के लिए एवं प्रतिवादी द्वारा किये गये विक्रय विलेख को शून्य घ ोषित करने के लिए लाया गया है तथा इसी से संबंधित एक आवेदन इन्हीं वादी द्वारा स्वत्व वाद संख्या 106/18 भी दाखिल किया गया है जो इस न्यायालय में लम्बित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख दिनांक 05.06.1942 मूल बयनामा का कागज दाखिल किया गया है जिसमें खतियानी रैयत राम अयोध्या ठाकुर से वादी (आवेदक) के पूर्वज द्वारा क्रय किय गया है तथा एक विक्रय विलेख दिनांक 16.12.2006 को नंदकिशोर ठाकुर पुत्र

TS105/18

09.04.2021

राम अयोध्या ठाकुर द्वारा वादी के पक्ष में केवाला बयनामा के आधार पर एवं विभाजन वाद संख्या 85/11 में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर स्वत्व की मांग की गयी है जिससे विवादित जमीन पर वादी या आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है तथा वादीगया स्वयं विक्रय विलेख एवं न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर स्वत्व की मांग की जा रही है तथा प्रतिवादीगया द्वारा वादी के पक्ष में पारित डिक्री को भी शून्य घोषित नहीं कराया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीन में गड्ढ़ा खोदने या स्वरूप परिवर्तन करने से वादी या आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को वादीगण को विक्रय विलेख एवं विभाजन में प्राप्त जमीन पर (विवादित जमीन) किसी प्रकार का गड्ढा खोदने या उसके स्वरूप में परिवर्तन करने से प्रतिवादीगण को तीन वर्ष या उससे पूर्व पक्षकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा निषिद्ध करते हुए न्यायहित में निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकृत किया जाता है यथाशीघ्र निस्तारण हेतु पक्षकार वाद बिंदु हेतु मूल दस्तावेज दाखिल करें। वास्ते दिनांक 26.04.2021 मूल कागजात एवं वाद बिंदु के प्रारूप हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश

अरेराज, पूर्वी चम्पारण।